(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे उपक्रम की, जो उपधारा (4) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट दूर-संचार सेवाओं को उपलब्ध कराता है, कुल आय की संगणना करने में कटौती उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधियों के दौरान किसी समय प्रारंभ होने वाले पहले पांच निर्धारण वर्षों के लिए पात्र कारबार के लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत और तत्पश्चात् अतिरिक्त पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का तीस प्रतिशत होगी ।";

(घ) उपधारा (3) में, "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा;

(ङ) उपधारा (4) में,--

(i) खंड (i) में,--

(अ) "(i) किसी अवसंरचना सुविधा का--(i) विकास करने, (ii) अनुरक्षण करने और प्रचालन करने, (iii) विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने का कारबार करने वाले" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "(i) किसी अव संरचना सुविधा का (i) विकास करने, या (ii) अनुरक्षण और प्रचालन करने, या (iii) विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने का कारबार करने वाले" शब्द, कोष्ठक और अंक, 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) उसने केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य कानूनी निकाय के साथ किसी नई अवसंरचना सुविधा का (i) विकास करने, या (ii) प्रचालन और अनुरक्षण करने, या (iii) विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए करार किया ;";

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण**--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना सुविधा" से अभिप्रेत है,--

(क) कोई सड़क, जिसके अंतर्गत चुंगी सड़क, कोई पुल या कोई रेल प्रणाली है ;

(ख) कोई राजमार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत ऐसे आवासन या अन्य क्रियाकलाप हैं, जो राजमार्ग परियोजना के अभिन्न भाग हैं ;

(ग) कोई जल प्रदाय परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मल वहन प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली ;

(घ) पत्तन, वायुपत्तन, अंतर्देशीय जल मार्ग या अंतर्देशीय पत्तन ।';

(iii) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) किसी ऐसे उपक्रम को, जिसने दूर-संचार सेवाएं, चाहे आधारिक हों या सेलुलर जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा या ट्रंक, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं हैं, 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2003 को या उसके पूर्व प्रदान करना प्रारंभ किया है या वह प्रारंभ करता है ;";

(iv) खंड (iii) में,--

(अ) "औद्योगिक पार्क" शब्दों के पश्चात् "या विशेष आर्थिक क्षेत्र" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) "31 मार्च, 2002" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2006" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (iv) में,--

(अ) "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा;

(आ) उपखंड (क) और उपखंड (ख) में, "31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाली" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली", अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (7) में "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा ;

(छ) उपधारा (8) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) "माल" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "माल या सेवाएं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी माल या सेवा के संबंध में, "बाजार मूल्य" से वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल या सेवाओं से खुले बाजार में साधारणतया प्राप्त होगी ;';

(ज) उपधारा (9) में, "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा ।

धारा 80झख का संशोधन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) उपधारा (1) में, "(3) से (11)" कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, "(3) से (11) और (11क)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(11क) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो खाद्यानों की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के समेकित कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे उपक्रम से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ का सौ प्रतिशत होगी और तत्पश्चात्, ऐसे कारबार की संक्रिया से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ का पच्चीस प्रतिशत (या जहां निर्धारिती कोई कंपनी है वहां तीस प्रतिशत) ऐसी रीति से होगी कि कटौती की कुल अवधि दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से अधिक न हो और इस शर्त को पूरा करने के अधीन होगी कि वह ऐसे कारबार की संक्रिया 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है ।";

(ग) उपधारा (14) में, खंड (ग) के उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(iv) खाद्यान की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के समेकित कारबार में लगे किसी उपक्रम की दशा में, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उपक्रम ऐसा कारबार प्रारंभ करता है ।"।

धारा 80ठ का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) खंड (x) में "बारह हजार" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "नौ हजार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (x) के नीचे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 88 का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 88 में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'परंतु यह और कि कोई व्यक्ति उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियों के योग के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती का हकदार होगा, यदि "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य उसकी आय--

(क) धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के पूर्व पूर्ववर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं है; और

(ख) धारा 80ख की उपधारा (5) में यथापरिभाषित उसकी सकल कुल आय के नब्बे प्रतिशत से कम नहीं है,';

(ख) उपधारा (2) के खंड (xiiiक) में, "जीवन बीमा निगम" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य बीमाकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 92 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 92 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएंगी, अर्थात् :--

असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से आय की संगणना ।

'92.(1) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से उदभूत होने वाली किसी आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आय की संगणना करने में, किसी व्यय या ब्याज का मोक भी असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाएगा ।

(3) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में, दो या अधिक सहयुक्त उद्यम, ऐसे उद्यमों में से किसी एक या अधिक को दिए गए या दिए जाने वाले किसी फायदे, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत की जाने वाली किसी लागत या व्यय के आबंटन या प्रभाजन के लिए या उसको कोई अभिदाय करने के लिए कोई परस्पर करार या ठहराव करते हैं वहां ऐसे किसी उद्यम द्वारा या उसको, यथास्थिति, आबंटित या प्रभाजित या अभिदाय की गई लागत या व्यय, यथास्थिति, ऐसे फायदे, सेवा या सुविधा के लिए असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए होगा ।

सहयुक्त उद्यम का अर्थ।

92क. (1) इस धारा और धारा 92, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ, धारा 92ङ और धारा 92च के प्रयोजनों के लिए, अन्य उद्यम के संबंध में, "सहयुक्त उद्यम," से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है,--

(क) जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या किसी एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से अन्य उद्यमों के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है ; या

(ख) जिसके संबंध में एक या अधिक व्यक्ति जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से इसके प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं, वही व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से अन्य उद्यम के प्रबंध या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं ।

(2) दो उद्यम सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय,--

(क) एक उद्यम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे शेयर धारण करता है जो अन्य उद्यम में मतदान शक्ति छब्बीस प्रतिशत से अन्यून है; या

(ख) कोई व्यक्ति या उद्यम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, ऐसे शेयर धारण करता है जिनकी ऐसे प्रत्येक उद्यमों में मतदान शक्ति छब्बीस प्रतिशत से अन्यून है ; या

(ग) एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को दिया गया कोई अग्रिम उधार अन्य उद्यम की कुल आस्तियों के बही मूल्य का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून है ; या

(घ) एक उद्यम दूसरे उद्यम के कुल उधारों का दस प्रतिशत से अन्यून की गारंटी देता है ; या

(ङ) एक उद्यम के निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड के सदस्यों के आधे से अधिक, या शासी बोर्ड के कार्यपालक निदेशकों या कार्यपालक सदस्यों में से एक या अधिक अन्य उद्यम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ; या

(च) दोनों उद्यमों में से प्रत्येक के शासी बोर्ड के निदेशकों या सदस्यों से आधे से अधिक, या कार्यपालक निदेशकों या शासी बोर्ड के सदस्यों में से एक या अधिक एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ; या

(छ) माल या वस्तु का विनिर्माण या प्रसंस्करण या एक उद्यम द्वारा चलाया जाने वाला कारबार पूर्णतया जानकारी, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न अनुज्ञप्ति, मताधिकार या किसी अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकारों पर या किसी डाटा, दस्तावेजीकरण, ड्राइंग या विनिर्देश पर आश्रित है जो किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया से संबंधित हैं, जिसका अन्य उद्यम स्वामी है या जिसके संबंध में अन्य उद्यम को अनन्य अधिकार है ; या

(ज) किसी एक उद्यम द्वारा चलाए जाने वाले माल या वस्तुओं के विनिर्माण प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री और खपत योग्य वस्तुओं का नब्बे प्रतिशत या अधिक किसी अन्य उद्यम द्वारा या अनन्य उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रदाय किया जाता है और प्रदाय से संबंधित कीमत और अन्य शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित की जाती हैं ; या

(झ) एक उद्यम द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल या वस्तुओं का अन्य उद्यम को या अन्य उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विक्रय किया जाता है और उससे संबंधित कीमत और अन्य शर्तें ऐसे अन्य उद्यम द्वारा प्रभावित की जाती हैं ; या

(ञ) जहां एक उद्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है वहां अन्य उद्यम भी ऐसे व्यक्ति या उसके किसी नातेदार या संयुक्ततः ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के नातेदार द्वारा नियंत्रित किया जाता है ; या

(ट) जहां एक उद्यम किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा नियंत्रित किया जाता है वहां अन्य उद्यम ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नातेदार द्वारा या ऐसे सदस्य और उसके नातेदार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है ; या

(ठ) जहां एक उद्यम कोई फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि-निकाय है वहां अन्य उद्यम ऐसी फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि-निकाय में दस प्रतिशत से अन्यून धारण करता है ; या

(ड) दो उद्यमों के बीच परस्पर हित की ऐसी कोई नातेदारी विद्यमान है जो विहित किया जाए ।

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ।

92ख. (1) इस धारा और धारा 92, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ के प्रयोजनों के लिए, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" से दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच, जिनमें से कोई एक या दोनों अनिवासी हैं, मूर्त या अमूर्त सम्पत्ति के क्रय, विक्रय या पट्टे की प्रकृति का, या सेवाओं के उपबंध या धन उधार देने या उधार लेने का कोई संव्यवहार या ऐसा कोई अन्य संव्यवहार अभिप्रेत है, जिसका ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानि या आस्तियों से संबंध है, और इसके अंतर्गत ऐसे उद्यमों में से किसी एक या अधिक को दी गई या दी जाने वाली प्रसुविधा, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत की जाने वाली लागत या व्यय को किसी अभिदाय के आबंटन या प्रभाजन के लिए दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच कोई परस्पर करार या ठहराव भी हैं ।

(2) सहयुक्त उद्यम से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ किसी उद्यम द्वारा किए गए संव्यवहार के बारे में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह दो सहयुक्त उद्यमों के बीच किया गया संव्यवहार है, यदि ऐसे अन्य व्यक्ति या सहयुक्त उद्यम के बीच सुसंगत संव्यवहार के संबंध में कोई पूर्व करार विद्यमान है या सुसंगत संव्यवहार के निबंधन ऐसे किसी व्यक्ति और सहयुक्त उद्यम के बीच सारवान रूप से अवधारित किए जाते हैं ।

असन्निकट कीमत की संगणना ।

92ग. (1) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक के द्वारा किया जाएगा, जो संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार के वर्ग या सहयुक्त व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को अथवा ऐसी अन्य सुसंगत बातों को, जो बोर्ड इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक समुचित पद्धति है, अर्थात् :--

(क) तुल्य अनियंत्रित कीमत पद्धति ;

(ख) पुनर्विक्रय कीमत पद्धति ;

(ग) लागत धन पद्धति ;

(घ) लाभ विभाजन पद्धति ;

(ङ) संव्यवहारात्मक शुद्ध पार्श्व पद्धति ;

(च) ऐसी अन्य पद्धति, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए लागू की जाएगी :

परंतु जहां एक कीमत से अधिक का अवधारण सर्वाधिक उपयुक्त रीति से किया जाएगा वहां असन्निकट कीमत को ऐसे मूल्य की अंकगणितीय औसत माना जाएगा ।

(3) जहां आय के निर्धारण के लिए किसी कार्यवाही के अनुक्रम के दौरान निर्धारण अधिकारी का उसके कब्जे में सामग्री या सूचना या दस्तावेजों के आधार पर यह मत है कि--

(क) अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में प्रभारित या संदत्त कीमत का अवधारण उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार नहीं किया गया है ; या

(ख) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित कोई सूचना और दस्तावेज, निर्धारिती द्वारा धारा 92घ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, नहीं रखी गई है और अनुरक्षित नहीं की गई है ; या

(ग) असन्निकट कीमत की संगणना करने में प्रयुक्त सूचना या डाटा विश्वसनीय या सही नहीं है ; या

(घ) निर्धारिती विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी कोई सूचना या दस्तावेज देने में असफल रहा है, जिसे धारा 92घ की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई किसी सूचना द्वारा देने की उससे अपेक्षा की गई थी,

वहां निर्धारण अधिकारी उक्त अतंरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत के अवधारण की कार्यवाही, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार उसके पास उपलब्ध ऐसी सामग्री या जानकारी या दस्तावेज के आधार पर करेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को ऐसी तारीख को या समय पर हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करके यह अवसर प्रदान किया जाएगा कि असन्निकट कीमत का अवधारण निर्धारण अधिकारी के कब्जे में सामग्री, या जानकारी या दस्तावेज के आधार पर क्यों न किया जाए ।

(4) जहां असन्निकट कीमत का अवधारण निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन किया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना कर सकेगा :

परंतु धारा 10क या धारा 10ख या अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती ऐसी आय की रकम की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिस तक निर्धारिती की कुल आय इस उपधारा के अधीन आय की संगणना के पश्चात् बढ़ जाती है ।

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा सूचना और दस्तावेजों का रखा जाना और बनाए रखना ।

92घ. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, उसकी बाबत ऐसी सूचना और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड वह अवधि विहित कर सकेगा जिसके लिए उस उपधारा (1) के अधीन सूचना और दस्तावेज रखी और बनाए रखी जाएगी ।

(3) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, उसकी बाबत कोई सूचना या दस्तावेज जो उपधारा (1) के अधीन विहित किया जाए, इस बाबत जारी की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर देने की अपेक्षा कर सकेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, तीस दिन की अवधि को तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

लेखापाल की रिपोर्ट का अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना ।

92ङ. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट को विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित रूप में सत्यापित ऐसी विशिष्टियों को वर्णित करते हुए, जो विहित की जाए, देगा ।

92च. धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-- असन्निकट कीमत आदि की संगणना के लिए सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाएं ।

(i) "लेखापाल" का वही अर्थ है जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में है ;

(ii) "असन्निकट कीमत" से वह कीमत अभिप्रेत है जो अनियंत्रित दशाओं में सहयुक्त उद्यमों से भिन्न व्यक्तियों के बीच किसी संव्यवहार में लागू की जाती है या लागू किए जाने के लिए प्रस्थापित की जाती है ;

(iii) "उद्यम" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगा है, या लगा हुआ है या जिसके लगाए जाने का प्रस्ताव है, जो ऐसी वस्तुओं या माल के उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण, अथवा जानकारी, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार-चिह्न, अनुज्ञप्ति, मताधिकार या उसी प्रकार के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार से, अथवा किसी डाटा, दस्तावेजीकरण, ड्राइंग या ऐसे विनिर्देश से संबंधित है जो किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मुला या प्रक्रिया के संबंध में है जिसके अन्य उद्यम स्वामी हैं या जिसकी बाबत अन्य उद्यम को अनन्य अधिकार हैं या किसी भी प्रकार की सेवाओं, अथवा किसी निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन, धारण, हामीदारी या व्यवहार के कारबार में विनिधान या उधार देना, चाहे ऐसा क्रियाकलाप या कारबार प्रत्यक्ष रूप से या अपने यूनिटों या प्रभागों या समनुषंगियों में से किसी एक या अधिक के माध्यम से किया जाता है या, चाहे ऐसा यूनिट या प्रभाग या समनुषंगी उसी स्थान पर, जहां उद्यम अवस्थित है या किसी भिन्न स्थान या स्थानों पर अवस्थित हैं ;

(v) "विनिर्दिष्ट तारीख" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां निर्धारिती कंपनी है, वहां सुसंगत निर्धारण वर्ष के अक्तूबर का 31वां दिन ;

(ख) किसी अन्य दशा में, सुसंगत निर्धारण वर्ष के जुलाई का 31वां दिन ;

(vi) "संव्यवहार" के अंतर्गत ठहराव, समझौता या संयुक्त कार्रवाई है,--

(अ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई, प्ररूपिक या लिखित रूप में है या नहीं ; या

(आ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई, विधिक कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जाने के लिए आशयित है या नहीं।'।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 94 में, 1 अप्रैल, 2002 से ,-- धारा 94 का संशोधन।

(क) उपधारा (6) के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(7) जहां--

(क) कोई व्यक्ति, रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर किन्हीं प्रतिभूतियों या यूनिट का क्रय करता है या अर्जन करता है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिट का, ऐसी तारीख के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर विक्रय या अंतरण करता है ;

(ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिटों पर प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय छूट प्राप्त है,

वहां प्रतिभूतियों या यूनिट के ऐसे क्रय और विक्रय मद्धे उसको उद्भूत होने वाली हानि, यदि कोई हो, उस परिमाण तक, जिस तक ऐसी हानि ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिट पर प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय की रकम से अधिक नहीं है, कर के लिए प्रभार्य उसकी आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।";

(ख) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में,--(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(कक) "रिकार्ड तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, लाभांश या आय प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतिधारक या यूनिटधारक की हकदारी के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी या किसी पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा नियत की जाए;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

(घ) "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो धारा 115कख के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है ।' ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 115कख के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्द और अंक, 1 जून, 2001 से रखे जाएंगे । धारा 115कख का संशोधन ।

1992 का 15

47. आय-कर अधिनियम की धारा 115कग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 115कग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'115कग. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो अनिवासी है, कुल आय में,-- किसी अनिवासी की, विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से आय पर अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से उद्भूत आय पर कर ।

(क) किसी भारतीय कंपनी के ऐसे बंधपत्रों पर, जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, विदेशी करेंसी में जारी किए जाते हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऐसे बंधपत्रों पर जिनका सरकार द्वारा विक्रय किया जाता है और जो विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय किए जाते हैं, ब्याज के रूप में आय ; या

(ख) ऐसी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर,--

(i) जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के आरंभिक रूप में जारी किए जाने के संबंध में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जारी की जाती हैं और किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से उसके द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं ;

(ii) जो किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऐसे शेयरों के संबंध में, जिनका सरकार द्वारा विक्रय किया जाता है, जारी की जाती हैं और किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से उसके द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं ; या

(iii) जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय किए गए किसी विदेशी कंपनी के शेयरों के संबंध में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पुनः जारी की जाती हैं ; या

(iv) जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पुनः जारी की जाती हैं और कंपनियों द्वारा उनकी समनुषंगी कंपनियों में अविनिधान से उद्भूत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के संबंध में अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं और ऐसी दोनों भारतीय कंपनियों के शेयर भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध हैं,